



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1942 (श0)
(सं0 पटना 690) पटना, सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी 2020

सं० 7/स्था0-04-02/2016-2166/सा0प्र0—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-2711 दिनांक 14.01.2020 द्वारा जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) बार से सीधी परीक्षा, 2019 के परीक्षाफल के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-6704 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा पदस्थापन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों श्री दुष्यन्त कुमार एवं प्रोतिमा परिहार को अधिवक्ता वर्ग से सीधे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के पद के लिए वेतनमान रु0 51550-1230-58930-1380-63070 में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त कर निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है:-

Sl. No.	Name	Roll No.	Merit Position	Category	D.O.B.	Present Address	Permanent Address	Place of Positing
1.	Dushyant Kumar	13457	8	UR	01.03.1979	A-66, Flat No. 9, Paryavaran Complex, Saidullajab, Delhi-110030	S/o Hari Shanker Nath Tiwari, Village-Bhojpurwa, PS.-Manjhagarh, Dist.-Gopalganj, Bihar-841428	ARA
2.	Protima Parihar	11401	11	UR(F)	13.12.1975	52/2/2 Maha Laxmi Enclave, Shiv Vihara Tiraha, Karwal Nagar, Delhi-110094	52/2/2 Maha Laxmi Enclave, Shiv Vihara Tiraha, Karwal Nagar, Delhi-110094	HAJIPUR

2. उक्त पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी:-
- (i) यदि इनके पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने अथवा प्रमाण पत्र/अभिलेखों के जाँच के क्रम में सूचना गलत पायी जाने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
 - (iii) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, उम्र, अनुभव, आवासीय एवं स्वच्छ चरित्र संबंधी सभी तरह के मूल प्रमाण पत्रों की विधिवत रूप से जाँच एवं सत्यापन का कार्य संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर पर किये जायेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (iv) योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता या सुविधा देय नहीं होगी।
 - (v) संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थियों के सिविल सर्जन के स्तर पर गठित चिकित्सक पर्सद से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शादी/विवाह में तिलक/दहेज आदि नहीं लेने/देने की घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।
 - (vi) उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP(C) Appeal no.14156/2015 (Dheeraj Mor v/s Hon'ble high court of Delhi) एवं अन्य जुड़े मामले के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 690-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>